

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 47 / 2015 वैवाहिक

देवसिंह आयु 22 साल पुत्र रामौतार जाति जाटव
निवासी गौतम नगर बार्ड नं.17 थाना गोहद
चौराहा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
-----आवेदक

बनाम

श्रीमती नीतू उर्फ संगीता आयु 20 साल पत्नी
देवसिंह पुत्र जनकसिंह जाति जाटव निवासी
ग्राम मौजीनगर बार्ड नं0 17 थाना गोहद चौराहा
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री जी0एस0निगम अधिवक्ता ।
अनावेदिका एक पक्षीय ।

//नि र्ण य//

/आज दिनांक 27-08-2016 को घोषित किया गया //

01. याचिकाकर्ता/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है जिसमें याचिकाकर्ता/आवेदक ने प्रतियाचिकाकर्ता/अनावेदिका के साथ सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 09-6-2014 को विघटित किये जाने का निवेदन करते हुये याचिका पेश की है ।
02. याचिकाकर्ता/आवेदक का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि उसका विवाह दिनांक 09-6-2014 को हिन्दू रीति रिवाज से अनावेदिका के साथ मौजी नगर बार्ड नं.17 गोहद चौराहा तहसील गोहद में सम्पन्न हुआ था तभी से आवेदक व अनावेदिका आपस में पति पत्नी हैं । शादी होने के बाद आवेदक एवं अनावेदिका के दोनों के आपस में सामन्जस नहीं बैठा और एक दूसरे में लड़ाई झगडा होना चालू हो गया जो कि शादी के 6 माह तक चलता रहा

और आवेदक को अनावेदिका ने दाम्पत्य अधिकारों से बंचित रखा हे तथा शारीरिक संबंध भी स्थापित नहीं होने दिया है । अनावेदिका शादी के 6 माह बाद अपने पिता के घर चली गयी और वापिस अपने पति के घर नहीं आयी तब आवेदक द्वारा न्यायालय में धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम की याचिका पेश की जिसका निराकरण नहीं हुआ और न ही अनावेदिका आवेदक के साथ रहना पसंद कर रही है । दिनांक 25-7-15 को आवेदक एवं अनावेदिका के माता पिता एवं रिश्तेदारों के मध्य पंचायत हुयी जिसमें अनावेदिका ने आवेदक के साथ रहने से साफ इन्कार कर दिया और अनावेदिका अन्य किसी पुरुष के साथ शादी करना चाहती है आवेदक को पसन्द नहीं करती है । अनावेदिका ने शादी होने के दिनांक 9-6-14 से आज तक आवेदक को दाम्पत्य अधिकारों से पृथक रखा है । ऐसी दशा में आवेदक के द्वारा विवाह विच्छेद याचिका पेश कर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है । आवेदक एवं अनावेदिका स्थायी रूप से वार्ड नं. 17 गोहद चौराहा तहसील गोहद में निवास कर रहे हैं । इस कारण न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार होना बताते हुये विवाह दिनांक 09-6-2014 को विघटित घोषित किये जाने और अन्य सहायता वाबत् याचिका पेश की है ।

03. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा जारी समन की तामीली पर दिनांक 28-8-15 को उपस्थित हुयी उसके द्वारा उपस्थित होने के उपरांत कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया तथा उसके उपरांत अनावेदिका दिनांक 11-8-16 को न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है ।

04. आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि:-

क्रं0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या आवेदक के साथ अनावेदिका के द्वारा कूरता का व्यवहार किया जा रहा है ?	
2	क्या अनावेदिका के द्वारा बिना किसी युक्ति युक्त कारण के आवेदक का परित्याग किया गया है ?	
3	क्या आवेदक अनावेदिका से विवाह विच्छेद करा पाने का अधिकारी है ?	
4	सहायता एवं व्यय	

// निष्कर्ष के आधार //

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-

05. अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी होने के संबंध में आवेदक देवसिंह आ0सा01 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसका विवाह अनावेदिका के साथ 9-6-2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार बार्ड नं.17 गोहद चौराहा पर सम्पन्न हुआ था । इस बिन्दु पर आवेदक के द्वारा किये गये कथन की संपुष्टि उसकी ओर से पेश अन्य साक्षी श्रीमती चन्द्रा आ0सा02 एवं श्रीराम आ0सा03 के कथनों से भी होती है । इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदिका नीतू उर्फ संगीता न्यायालय में उपस्थित हुयी है और उसके द्वारा अभिभाषक भी नियुक्त किया गया है किन्तु उसके द्वारा कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया है और पश्चात्वर्ती प्रकरण में वह अनुपस्थित हो गयी है जिस कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है । प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर आवेदक देवसिंह के द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अनावेदिका नीतू से उसकी शादी दिनांक 9-6-14 को गोहद में हुयी थी । इस प्रकार अनावेदिका श्रीमती नीतू उर्फ चन्द्रा आवेदक देवसिंह की विवाहिता पत्नी होना और उनका विवाह दिनांक 9-6-14 को सम्पन्न होना प्रमाणित है ।
06. आवेदक के द्वारा अनावेदिका के साथ हुये उसके विवाह को विच्छेद करने के संबंध में अपने अभिवचन में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि, अनावेदिका के द्वारा उससे विवाह होने के उपरांत उसे दाम्पत्य अधिकारों से बंचित रखा गया है और दाम्पत्य सुख प्रदान नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि अनावेदिका याचिका पेश करने के 6 माह पूर्व अपने पिता के घर चली गयी है तब से वह वापिस नहीं आयी है और उसके द्वारा पंचों के समक्ष उसके साथ रहने से मना कर दिया ।
07. आवेदक देवसिंह साक्षी क्रं01 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि शादी के बाद से ही नीतू ने उससे लड़ाई झगडा करना चालू कर दिया और नीतू ने उसके साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं किया है और शादी के 6 माह बाद उसका घर छोडकर अपने पिता के घर मौजीनगर रहने लगी । आवेदक के द्वारा कई बार अनावेदिका को अपने पास रहने के लिये प्रयास किया किन्तु वह उसके घर नहीं आयी इस कारण उसके द्वारा धारा 9 हिन्दू विवाह अधि0 का पेश किया जिसमें अनावेदिका उपस्थित नहीं हो रही है । दिनांक 27-5-15 को रिश्तेदारों के मध्य प्रचायत एकत्रित की तो अनावेदिका ने उसके साथ रहने से इन्कार कर दिया और कहा कि वह आवेदिका की पत्नी बनकर नहीं रहेगी तथा वह अपनी शादी अन्य पुरुष के साथ करेगी वह वह देवसिंह को पसंद नहीं करती है । आवेदक के द्वारा जो विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय में पेश की है उसमें अनावेदिका जानबूझकर अनुपस्थित रह रही है वह अपना मकान छोडकर कहीं चली गयी है । अनावेदिका नीतू और उसका पिता बार्ड नं.17

छोड़कर कहीं ओर चले गये हैं । प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि नीतू के द्वारा उसके साथ कूरता का व्यवहार नहीं किया गया ।

08. आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी श्रीमती चन्द्रा आ0सा02 जो कि आवेदक की मां है के द्वारा यह बताया है कि अनावेदिका उसके पुत्र देवसिंह को पसन्द नहीं करती और दोनों के मध्य लड़ाई झगडा होता रहा है । शादी के 6 माह बाद नीतू अपने पिता के यहां चली गयी । उसे बुलाने का कई बार प्रयास किया गया एवं न्यायालय में याचिका भी प्रस्तुत की गयी है किन्तु उसके द्वारा पत्नी के रूप में देवसिंह के साथ संबंध स्थापित नहीं किये । दिनांक 25-7-15 को पंचायत में उसके पुत्र के साथ रहने से उसने इन्कार कर दिया । इस संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी श्रीराम आ0सा03 जो कि उनका पड़ोसी है के द्वारा भी यह बताया गया है कि शादी के बाद दोनों के मध्य आपसी झगडा होने लगा और उनके संबंध मधुर नहीं हैं । करीब डेढ वर्ष से अनावेदिका अपने पिता के घर रह रही है ।

09. अनावेदिका के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है । वर्तमान याचिका जो कि याचिकाकर्ता/आवेदक के द्वारा विवाह विच्छेद हेतु आधार लेते हुये इस संबंध में डिक्री प्रदान किये जाने वाबत् पेश की गयी है । इस संबंध में लिये गये आधारों को प्रमाणित करने का भार आवेदक/याचिकाकर्ता पर है । मात्र इस आधार पर कि अनावेदिका/गैर याचिकाकर्ता के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है । इस संबंध में याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं हो सकता ।

10. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा विवाह विच्छेद हेतु याचिका पेश की गयी है उसमें विवाह विच्छेद हेतु जो आधार लिये गये हैं उसमें अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ लड़ाई झगडा किया जाना एवं दाम्पत्य अधिकारों से बंचित रखना जो कि उसे शारीरिक संबंध स्थापित न करने देना का आधार लिया है । इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि अनावेदिका के द्वारा उसका परित्याग किया गया है ।

11. अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ कूरता का व्यवहार करना और उससे शारीरिक संबंध से बंचित रखकर उसके प्रति कूरता करने का जहां तक प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि स्वयं आवेदक के द्वारा अपने अभिवचन में बताया है कि उसका एवं अनावेदिका का शादी के बाद सामन्जस्य नहीं बैठा और एक दूसरे से लड़ाई झगडा होने लगा । इस संबंध में यद्यपि साक्षी देव सिंह अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि शादी के बाद नीतू ने उससे लड़ाई झगडा करना चालू कर दिया और अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं किया । मात्र इस आधार पर कि अनावेदिका के साथ उसका कोई लड़ाई झगडा होता था, जैसा कि इस संबंध में आवेदक साक्षी चन्द्रा आ0सा02 एवं श्रीराम आ0सा03 के द्वारा भी बताया जा रहा है । इस आधार पर कि आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य लड़ाई झगडे होते थे इस

परिप्रेक्ष्य में अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ क्रूरता का व्यवहार किये जाने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है ।

12. अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ दाम्पत्य संबंधों के स्थापना न करने देने का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि स्वयं आवेदक के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि उसके द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापना वाबत् याचिका प्रस्तुत की है । इस संबंध में यद्यपि आवेदक यह बता रहा है कि अनावेदिका उक्त याचिका में जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रही है । निश्चित तौर से जबकि आवेदक के द्वारा अनावेदिका के विरुद्ध वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना वाबत् न्यायालय में पेश की गयी है जो कि याचिका अभी चल रही है, उक्त याचिका के निराकरण के पूर्व ही आवेदक के द्वारा विवाह विच्छेद वाबत् वर्तमान याचिका पेश की जानी स्पष्ट होती है । धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना वाबत् आदेश होने के उपरान्त भी यदि अनावेदिका दाम्पत्य संबंधों से आवेदक को बंचित रखती तो यह इस संबंध में आधार हो सकता था । किन्तु आवेदक के द्वारा याचिका के निराकरण के पूर्व ही विवाह विच्छेद हेतु याचिका पेश की गयी है । इस प्रकार प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य के आधार पर अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ क्रूरता का व्यवहार किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता । इस परिप्रेक्ष्य में धारा 13(1)(1-क) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत तलाक का कोई आधार नहीं बनता ।

13. अनावेदिका के द्वारा आवेदक का स्वेच्छया परित्याग किये जाने का जहां तक प्रश्न है । इस संबंध में आवेदक के द्वारा अपने अभिवचन में यह बताया गया है कि याचिका पेश करने के 6 माह पूर्व अनावेदिका अपने पिता के घर चली गयी और वापिस नहीं आयी और उससे पृथक् रह रही है । इस प्रकार याचिका पेश करने के 6 माह पूर्व अनावेदिका के द्वारा उसका परित्याग किये जाने आवेदक के द्वारा अपने अभिवचन में बताया गया है । इसी आशय का कथन साक्षी देवसिंह आ0सा01 एवं साक्षी चन्द्रा आ0सा02 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में किया गया है । इस संबंध में जैसा कि आवेदक के अभिवचन एवं उसके साक्ष्य में यह भी आया है कि उसके द्वारा दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना कराये जाने वाबत् याचिका भी पेश की गयी है जिसका कि अभी निराकरण होना शेष है । उक्त याचिका में आदेश होने के पूर्व ही विवाह विच्छेद वाबत् वर्तमान याचिका आवेदक के द्वारा पेश की गयी है । आवेदक के द्वारा लिया गया आधार कि याचिका पेश करने के 6 माह पूर्व से अनावेदिका ने उसका परित्याग किया है, इस प्रकार धारा 13(1)(1-ख) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत भी अनावेदिका के द्वारा आवेदक का अभित्यक्त किये जाने का आधार भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता ।

14. तदनुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया

जाता है ।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक:-3

15. प्रकरण में वाद बिन्दु क्रमांक 1 व 2 पर की गयी विवेचना एवं निकाले गये निष्कर्ष से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा विवाह विच्छेद हेतु लिये गये आधार जो कि अनावेदिका के द्वारा उसके साथ कूरता का व्यवहार किया जाना एवं उसका परित्याक किये जाने के संबंध में जो आधार लिये गये हैं वह आधार प्रमाणित नहीं हैं । ऐसी दशा में आवेदक अनावेदिका से विवाह विच्छेद करा पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता । तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है ।

सहायता एवं व्यय:-

16. उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में एवं वाद प्रश्नों पर निकाले गये निष्कर्ष के आलोक में याचिकाकर्ता/आवेदक के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है ।

17. अतः आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुति विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम सव्यय निरस्त की जाती है ।

उपरोक्त अनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु असामान्य)